

**डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन  
योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज**

- 1) युगल का आधार कार्ड एवं जनआधार कार्ड ।
- 2) अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 3) सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का जाति प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 4) युगल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 5) युगल की जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका ( इससे कम शैक्षणिक योग्यता होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति )
- 6) युगल का संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या एवं बचत खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति ।
- 7) युगल के पैन नंबर (आधार लिंकड) व पैन कार्ड की प्रति ।
- 8) युवक व युवती के आयकर रिटर्न की प्रति (यदि आयकर रिटर्न भरा जाता है) एवं आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा पत्र )
- 9) युवक व युवती का गंभीर अपराध प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं होने का शपथ पत्र ।
- 10) युगल के विवाह की संयुक्त फोटो ।
- 11) विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 12) युगल में से एक, जो अनुसूचित जाति का न हो, उसे अपने स्वयं के हिन्दू सवर्ण जाति का होने का शपथ पत्र ।

नोट:-

- अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने सभी दस्तावेज जनाधार/ई-वाल्ड/डिजीलहकर में अद्यतन कर ले जिससे अनावश्यक विलम्ब/परेशानी न हो ।
- अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने बैंक खाता विवरण की पूर्ण रूप से जांच कर ले जिससे बैंक खाता अक्रियाशील अथवा त्रुटि आदि होने के कारण भुगतान में समस्या उत्पन्न ना हो ।